सी० डी० (2) संख्या 302

लोक सभा

लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

[25 जुलाई, 1975 को प्रस्तुत किया गया]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 1975/ श्रावण, 1897

लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

<u>समिति की रचना</u>

श्री बी० एन० कुरील - सभापति

<u>सदस्य</u>

2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. श्री चन्दू लाल चन्द्राकर
4. श्री के० चिकलिंगैया
5. चौधरी दलीप सिंह
6. श्री अनादि चरण दास
+ 7. श्री बी० के० दास चौधरी
8. श्री सी० टी० दण्डपाणि
9. श्री जांबुवंत धोटे
10. श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
11. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा
12. श्री इन्द्रजीत गुप्त
13. श्री नूरूल हुडा
14. श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली
15. श्री रॉबिन ककोटी
16. श्री एच० एस० कांवले
17. श्री मधु लिमये

\+ श्री के० आर० गणेश द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर 20.11.1974 से नियुक्त किये गये ।

* 18 श्री के.एम.मधुकर

-+- 19. श्री विक्रम महाजन

20. श्री जगन्नाथ मिश्र

21. श्री श्रीकिशन मोदी

22. श्री पीलू मोदी

23. श्री सुरेन्द्र महन्ती

24. श्री प्रताप सिंह नेगी

25. श्री राजा राम दादासाहिब निंबालकर

26. डा.लक्ष्मी नारायण पांडेय

27. श्री ई.वी. विखे पाटिल

28. श्री एम.एस.पुरती

29. चौधरी राम प्रकाश

30. श्री राम स्वरूप

31. श्री एम.एस.संजीवी राव

32. श्री एम.राम गोपाल रेड्डी

33. डा.गोविंद दास रिछारिया

34. श्री बापू नाथ सिंह

35. श्री सोम चन्द सोलंकी

36. श्री सूर्यनारायण

37. श्री टी. वी.चन्द्र शेखरप्पा वीरबासप्पा

38. श्री एन.आर.वेकारिया

39. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा

% 40. श्री सी.सुब्रमण्यम

---

* श्रीमती रोजा विद्याधर देश पांडे द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर 30-8-1974 से नियुक्त किये गये।

-+- श्री ए.के.एम.इसहाक द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर 20-11-1974 से नियुक्त किये गये।

% श्री यशवन्तराव चव्हाण द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर 20-11-1974 से नियुक्त किये गये।

राज्य सभा

41. श्री के.जी.तिवारी
42. श्री ...कुभाई एम.चिनाई
43. श्री भूपेश गुप्त
44. श्री यशपाल कपूर
45. श्री एम. एस.अब्दुल कादर
46. श्री पी.वी.अब्दुल्ला कोया
47. श्री ए.जी.कुलकर्णी
48. श्रीमती सुमित्रा जी.कुलकर्णी
49. डा.के.मैथ्यू कुरियन
50. श्री बी.एन.मण्डल
51. श्री ऋषि कुमार मिश्र
52. श्री लोक नाथ मिश्र
53. श्री देव राव एस पाटिल
54. श्रीमती सरस्वती प्रधान
55. श्री एस.रंगानाथन्
56. श्री ...र.नरसिम्हा रेड्डी
57. श्री कामेश्वर सिंह
58. श्रीमती मैमूना सुल्तान
59. श्री सुब्रमनियन स्वामी
60. श्री ज्ञान चन्द टोटू

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस.के.मैत्रा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री एन.एल.वैद्यनाथन, अपर विधायी परामर्शदाता ।

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एम.जी बालासुब्रमण्यम् . अपर सचिव ।
2. श्री एम.के. वैंकटाचलम, संयुक्त सचिव ।
3. श्री वी.के.[illegible]गल, उप-सचिव ।

सचिवालय

1. श्री पी.के.पटनायक, अपर सचिव ।
2. श्री यदुवंश सहाय, मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का सभापति जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाला विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का प्रतिवेदन, समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक सहित जो इसके साथ संलग्न है, प्रस्तुत करता हूं।

2. यह विधेयक, 22 दिसम्बर, 1973 को* लोक-सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को स सौंपने के प्रस्ताव के मामले में लागू होने वाले लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक को निलम्बित करने का प्रस्ताव 25 मार्च, 1974 को तत्कालीन राज्य वित्त मंत्री श्री के.आर. गणेश द्वारा लोक सभा में पेश किया गया और स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव तत्कालीन वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के.आर. गणेश द्वारा उसी दिन लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और वह स्वीकृत हुआ।

3. राज्य सभा ने 11 मई, 1974 को उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की।

4. राज्य-सभा से प्राप्त संदेश दिनांक 13 मई, 1974 के लोक सभा समाचार भाग - दो में प्रकाशित किया गया।

5. समिति की कुल मिलाकर 23 बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक समिति का कार्यक्रम तैयार करने के लिये 6 जून, 1974 को हुई। समिति ने निश्चय किया कि सभी राज्य सरकारों, प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडलों, लोक वित्तीय संस्थाओं, लोक वित्तीय

---

* भारत के दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

संस्थाओं के कर्मचारी संघ, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विधेयक की विषय वस्तु में रुचि लेने वाले सहकारी संगठनों से ज्ञापन आमंत्रित किये जायें। समिति ने यह भी निश्चय किया कि इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसमें ज्ञापन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 10 जुलाई, 1947 निर्धारित की जाये। समिति ने कुछ संस्थाओं, व्यक्तियों, आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुनने का भी निश्चय किया।

7. विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से विधेयक के सम्बन्ध में समिति को 25 ज्ञापन प्राप्त हुए।

8. समिति ने 15 से 17 जुलाई, 25 से - 7 सितम्बर, 21 से 23 अक्तूबर, 1974, 5 से 7 फरवरी और 16 अप्रैल, 1975 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

9. समिति ने 16 जून, 1975 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाये, और (दो) विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से समिति को प्राप्त हुए ज्ञापनों की दो दो प्रतियां, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, संसद् सदस्यों के हवाले के लिये संसदीय ग्रंथालय में रखी जायें।

10. समिति का प्रतिवेदन 26 जुलाई, 1974 तक प्रस्तुत किया जाना था। समय बढ़ाने की मंजूरी समिति को दो बार दी गई। पहली बार 23 जुलाई, 1974 को 21 फरवरी, 1975 तक और दूसरी बार 19 फरवरी, 1975 को 28 जुलाई, 1975 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

11. समिति को भेजे गये ज्ञापनों में दिये गये और समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर समिति ने 9 और 10 जून 1975 को हुई अपनी बैठकों में सामान्य चर्चा की।

12. समिति ने 19 और 20 जून तथा 11 जुलाई, 1975 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

13. समिति ने 19 जुलाई, 1975 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया ।

14. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार अगले पैराग्राफों में दिये गये हैं ।

15. खण्ड 2 - समिति का विचार है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जो कि देश की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधन लगाने चाहियें ।

खंड 2 में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

16. खंड 5 ; 19 ; 20 ; 39 (मूल खंड 37) ; 48(मूल खंड 44) ; 56 (मूल खंड 51) ; और 58(मूलखंड 53) - इन खंडों में किये गये संशोधन औपचारिक है जो कि वर्षों के बदल जाने के परिणामस्वरूप किये गये हैं ।

17. खंड 7 :- (एक) प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (1) के पैराग्राफ (ग) में किया गया संशोधन पारिणामिक है ।

(दो) नई धारा 6(1) (ग)(तीन) :- समिति की यह राय है कि विकास बैंक के दो निदेशक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों में से होने चाहिए । इन निदेशकों में से एक अधिकारी कर्मचारियों में से चुना जायेगा तथा दूसरा कार्मिकों में से चुना जायेगा और यह चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से किया जायेगा ।

तदनुसार नई धारा 6(1)(ग)(तीन) अन्त: स्थापित कर दी गई है ।

(तीन) प्रस्तावित वर्षों धारा 6(1)(ग)(पांच) : समिति का यह विचार है कि "व्यवहारिक अनुभव " शब्दों के स्थान पर "व्यवसायिक अनुभव "प्रतिस्थापित किया जाये ।

समिति का यह भी विचार है कि विकास बैंकों के निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने के लिये पात्रता की एक अर्हता "विपणन "का विशेष ज्ञान, तथा उसमें व्यावसायिक

प्रस्तावित नई धारा 6(1)(ग) (पांच) में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

18. खंड (1) :- जो संशोधन किये गये हैं वे शाब्दिक हैं ।

19. नया खंड 21 : समिति का यह विचार है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 को उस तारीख से , केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निश्चित करे, नागालैंड राज्य के कोहिमा तथा मोकोकचुंग जिलों में भी लागू किया जाये ।

तदनुसार नया खण्ड 21 अन्त: स्थापित किया गया है ।

20. खंड 22 (मूल खंड 21) : इस खंड में किया गया संशोधन प्रारुपण संबंधी हैं ।

21. नया खंड 23 : लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न अधिनियमनों के अधीन बनाये जाने वाले नियमों तथा विनियमों को सांविधिक रुप से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

संसद् के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने केन्द्रीय अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों आदि को संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक संशोधित आदर्श (माडल) खंड भी अनुमोदित किया है ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 42 में संशोधन करने की दृष्टि से नया खंड 23 अन्त: स्थापित किया गया है ।

22. नये खंड 41 और 53 : नये खंडों 41 तथा 53 के द्वारा जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 में नई धारा 6 क तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम , 1963 में नई धारा 19 क अन्त: स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है दोनों ही धाराओं का उद्देश्य निगम अथवा यूनिट ट्रस्ट को ऐसी आवश्यक शर्तें लगाने की शक्ति प्रदान करना है जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें / तथा यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके [illegible] जिन फर्मों को दी गयी थी ।

वे उनका सक्षम ढंग से उपयोग करें। इसके अतिरिक्त इन धाराओं में यह व्यवस्था है कि जहां निगम अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा किसी सहायता प्राप्त फर्म के साथ किये गये किसी करार में निगम अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा एक अथवा एक से अधिक निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था होगी वहां इस प्रकार नियुक्त निदेशक पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध अथवा कोई अन्य कानून लागू नहीं होगा और यह कि वह निदेशक तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि उसे मनोनीत करने वाले निगम अथवा यूनिट ट्रस्ट, जैसी भी स्थिति हो, की इच्छा होगी और वह निदेशक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य अथवा निष्कपट भाव से हुई किसी चूक के लिये जिम्मेदार नहीं होगा और उसको बारी बारी से सेवा निवृत भी नहीं किया जा सकेगा। चूंकि मनोनीत निदेशकों की भूमिका निर्वाचित निदेशकों से बिल्कुल भिन्न है, इसलिये यह आवश्यक है कि मनोनीत निदेशकों के संबंध में ऊपर बताये गये कानूनी संरक्षण लागू किये जायें जिससे कि वे सहायता प्राप्त फर्मों के निदेशक के रूप में अपने कृत्यों का उचित रूप से निर्वाह कर सकें।

समिति ने नोट किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 औद्योगिक वित्त निगम, 1948, तथा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में इससे मिलते जुलते उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं और इस लिये प्रस्तावित नई धाराओं को अन्तः स्थापित किये जाने के विषय में सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं है।

तदनुसार जीवन बीमा अधिनियम, 1956 में नई धारा 6 क तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम, 1963 में नई धारा 19 क अन्तः स्थापित की गई है।

23. नया खंड 43 :- दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित नियमों आदि को संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक संशोधित आदर्श (माडल) खंड को स्वीकृति दी है। धारा 48 को ऊपर बताई गई समितियों द्वारा स्वीकृत संशोधित आदर्श (माडल) खंड के अनुरूप बनाने की दृष्टि से यह खंड अन्तः स्थापित किया गया है।

24. खंड 1 और अधिनियम सूत्र : इसमें जो संशोधन किये गये हैं वे औपचारिक हैं ।

25. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

नई दिल्ली ;
25 जुलाई, 1975
3 श्रावण, 1897 (शक)

बी. एन. कुरील
सभापति,
संयुक्त समिति ।

विमति टिप्पण

लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि संयुक्त समिति के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है, एक प्रतिगामी विधान है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक; भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्तीय निगमों को भारतीय रिजर्व बैंक से असम्बद्ध करने और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक ऐसी शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से पृथक हो तथा वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में काम करे, बदलने के इस प्रस्ताव से पिछले दो दशकों में निर्मित ऋण व्यवस्था का आधार ही नष्ट हो जायेगा।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कुछ मामलों के विषय में इस प्रकार से पुनर्गठित करना है, जिससे कि उस के कार्यक्षेत्र का विस्तार उद्योग का वित्तपोषण करने वाली मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में किया जा सके और उद्योग के वित्त-पोषण या उन्नयन या विकास में लगी हुई अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्य में समन्वय किया जा सके ।" हमारा यह विचार है कि संयुक्त समिति द्वारा संशोधित और अनुमोदित रूप में यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहेगा । वास्तव में विधेयक की विषय-वस्तु का विधेयक के वास्तविक उपबंधों से बहुत ही कम संबंध है । इस प्रकार उद्देश्यों का कथन, सदेच्छाओं का कथन मात्र रह गया है जो विधेयक के वास्तविक उपबंधों से पूरी तरह से मेल नहीं खाता है । हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि समिति में बहुमत द्वारा विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है और साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष विशेषज्ञों द्वारा जो महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान तर्क प्रस्तुत किये गये थे उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है समिति के समक्ष साक्ष्य में सुस्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि विधेयक जिस उद्देश्य से लाया गया है वह उद्देश्य ही ठीक प्रतीत नहीं होता है अतः इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए । साक्ष्य में आगे कहा गया था कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से असम्बद्ध करने का कोई मान्य आर्थिक और प्रशासकीय कारण नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन से, जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की न तो संचालन दक्षता में सुधार होगा और न ही इस से विकास कार्य के वित्त पोषण, ऋण संचालन के सुसमन्वय इत्यादि के लिये बेहतर व्यवस्था की स्थापना होगी । 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के दिन से ही यह आशा की गई थी कि बैंक "उद्योग के वित्त-पोषण, उन्नयन या विकास में लगी हुई वित्तीय संस्थाओं के कार्य में समन्वय के लिए तथा

इस प्रकार की संस्थाओं के विकास में सहायता देने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में काम करेगा ।" भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लक्ष्यों का एक रूप में कथन कोई नई बात नहीं है । क्योंकि 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संबंधी विधेयक को पेश करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री, स्वर्गीय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने यह कहा था :—

"हम नए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की केन्द्रीय समन्वय कारी अभिकरण के रूप में कल्पना कर रहे हैं जो अंततोगत्वा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उद्योग के दीर्घकालिक तथा मध्यम कालिक वित्त पोषण से संबंधित सभी समस्याओं और प्रश्नों से सम्बद्ध होगा ।"

विधेयक में प्रस्तावित संगठनात्मक परिवर्तनों से ऋण संबंधी ढांचा, दीर्घकालिक ऋण तथा अल्पकालिक वित्त पोषण के बीच दो भागों में बंट जायेगा । इस समय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जोकि वास्तव में सभी वित्तीय संस्थाओं की शीर्षस्थ संस्था है, एकीकृत नियंत्रण के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण तथा अल्पकालिक ऋण के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे अंतर्गत ऋण-व्यवस्था में वांछित एकीकरण सुनिश्चित किया जाता है ।

यह एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय बैंक को केवल बैंकरों के प्रति बैंकर की परम्परागत भूमिका ही नहीं निभानी चाहिए, अपितु दीर्घ कालिक ऋणों के क्षेत्र में विकासात्मक तथा उन्नयनात्मक कार्य भी करना चाहिए । वर्तमान विधेयक द्वारा इस सिद्धांत को ही नकारा जा रहा है ।

पिछले दो दशकों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्तपोषण तथा कृषि वित्त पोषण, दोनों ही के उन्नयन की दिशा में कदम उठाये हैं ।

रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली दोष रहित नहीं है । तथापि, विचाराधीन प्रश्न यह है कि केन्द्रीय बैंक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक वित्त पोषण को एकीकृत करने का निर्णय सही दिशा में एक कदम था और यह विकासशील अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की आधुनिक विचारधारा के अनुरूप था ।

वर्तमान विधेयक के समर्थक यह तर्क पेश करते हैं कि यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने विगत समय में औद्योगिक वित्तपोषण के उन्नयन में उपयोगी कार्य किया है, तथापि अब समय आ गया है जब कि औद्योगिक वित्त पोषण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया जाना चाहिए । इस तर्क के पीछे यह अभिप्राय निहित है कि विकासात्मक कार्य का वित्त पोषण भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य नहीं है और यह है कि उसको उस शिशु के लालनपालन का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था जो कि अब वयस्क हो गया है । इसके समान भावना यह है कि अब औद्योगिक वित्त पोषण को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिये जिससे कि वह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में विकसित हो सके । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह एक विकृत तर्क है और यह इस मूलभूत सिद्धांत को नकारता है कि अल्पकालिक ऋण तथा दीर्घकालिक ऋण के बीच कोई विभाजन नहीं होना चाहिए और यह कि केन्द्रीय बैंक, विशेष रूप से विकासशील देश के केन्द्रीय बैंक, को वित्त पोषण के इन दोनों क्षेत्रों के एकीकरण और समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिये ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन उसकी एक समनुषंगी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को औद्योगिक वित्त पोषण

संघटित ढांचे की शीर्षस्थ संस्था के रूप में काम करना था तथा उसे उन बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी थी जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यमान एजेन्सियों तथा संस्थाओं द्वारा नहीं की जा सकती थी । औद्योगिक यूनिटों को सीधे धन उपलब्ध कराने के रूप में मध्यम कालिक और दीर्घकालिक ऋण देने के अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त सुविधायें भी उपलब्ध करानी थीं ।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि व्यापार तथा वाणिज्य के लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने, उद्योग के लिए मध्यम और दीर्घकालिक वित्त निवेश करने तथा कृषि संबंधी कार्यों के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त की व्यवस्था करने के लिए गत दो दशकों में बहुत सी संस्थायें स्थापित की गई हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने इन विशेषीकृत संस्थाओं की स्थापना करने और इनका मार्ग दर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । इन विशेषीकृत संस्थाओं में कुछ सीमा तक समन्वय और उनके कार्यों का एकीकरण सुनिश्चित करने में रिज़र्व बैंक का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सहायता और मार्गदर्शन सहायक रहे हैं ।

वर्तमान विधेयक पारित होने के पश्चात् भी कृषि-वित्त रिजर्व बैंक के ही पास रहेगा । नये प्रबंध के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कृषि-वित्त के क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य करता रहेगा परंतु औद्योगिक-वित्त के क्षेत्र में इसकी भूमिका बहुत कम रह जायेगी । यह देश में ऋण के बुनियादी ढांचे के समुचित विकास के लिए निश्चित ही विनाशकारी होगा । इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य है कि इससे एक तर्कहीन विषमता पैदा होती है ।

वर्तमान विधेयक से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि भारतीय रिज़र्व बैंक के नियंत्रण और मार्गदर्शन के अंतर्गत व्यावसायिक प्रबंध का लाभ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को नहीं मिल सकेगा । यह बात 1964 में मूल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विधेयक के रचनाकारों के आशय के प्रतिकूल होगी । वित्तमंत्री ने, जिन्होंने राज्यसभा में 1964 में विधेयक प्रस्तुत किया कहा था :-

"देश के सेन्ट्रल बैंक के साथ इसके निकट सहयोग के कारण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उस बैंक के ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाएगा और अपने दैनिक कार्यों में आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करेगा ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का भारतीय रिज़र्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था के रूप में इस अधिकांशतया मान्य सिद्धांत के अनुसार गठन किया गया था कि किसी विकासशील देश के सेन्ट्रल बैंक को एक सुदृढ़ निवेश के बैंकिंग ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपने ऊपर एक विशेषदायित्व लेना चाहिए । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक अनुषंगी संस्था बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वित्तमंत्री, स्वर्गीय श्री टी0 टी0 कृष्णमाचारी ने लोकसभा में इस प्रकार कहा :

''मैं सभा को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस नयी संस्था को सौंपी जाने वाली जिम्मेवारी दुष्कर और भारी होगी । एक तरह यह संस्था जब कहीं से ऋण नहीं मिलता तो छोटे अवधिक ऋणों को छोड़कर सभी अवधियों के लिए और जहां तक औद्योगिक उद्यमों का संबंध है सभी अथवा लगभग सभी उद्देश्यों के लिए ऋण देगी । इन परिस्थितियों में हमने यह वांछनीय समझा है कि इस नई संस्था का स्वामित्व और प्रबन्ध भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त किया जाए ।

उपर्युक्त सैद्धान्तिक और मूल बातों के अलावा वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक अनुषंगी शाखा बनाए रखने के बहुत से व्यावहारिक लाभ हैं । इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि रिजर्व बैंक के पास बहुत सा व्यावसायिक प्रबन्ध और वित्तीय विशेषज्ञता है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसका प्राप्त होना स्वाभाविक ही है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रिजर्व बैंक पर वित्तीय निर्भरता का एक अन्य स्पष्ट लाभ भी है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वर्ष 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार -

''सरकार द्वारा 1969-70 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को धन देना बन्द करने के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के धन प्राप्त करने के तीन प्रमुख स्रोत रहे हैं (एक) ऋण प्राप्तकर्ताओं से किश्तों की वापसी, (दो) भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन कार्य) निधि में से ऋण, तथा प्रदत्त पूंजी, जो कि पूर्णतः बैंक द्वारा दी जाती है, में वृद्धि गत तीन वर्षों के दौरान दीर्घकालीन कार्य से लिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि हो रही है ।''

इन स्पष्ट लाभों के मुकाबले में नये विधेयक से यह निश्चित आभास होता है कि यह एक निरर्थक संस्थागत परिवर्तन है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से अलग करने से न तो उद्योग को अधिक ऋण मिलेगा और न ही ऋण लागत में कमी आयेगी । अतः इस विधेयक को लाने का कोई आर्थिक तर्क नहीं है ।

संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य से पता चलता है कि टाटा और मोदी जैसे बड़े औद्योगिक गृहों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से अलग करने के प्रस्ताव में रुचि दिखाई थी और श्री पालकीवाला ने भी इस प्रस्ताव का सुझाव दिया था ।

इसका अर्थ स्पष्ट है । कुछ एकाधिकारी गृह यह महसूस करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक और तदनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ''सापेक्ष'' स्वतंत्रता वित्तीय संसाधनों को इन एकाधिकारवादी गृहों के खजानों में बेरोकटोक नहीं जाने देती । यह बात नहीं है कि इन गृहों को विद्यमान व्यवस्था से लाभ नहीं मिला । उनको आशा है कि जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अलग हो जायेगा तो अपने निजी लाभों और अस्तियों में वृद्धि करने के लिए सरकारी धन को नियंत्रण में लेने की उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हो जायेगी ।

यह निष्कर्ष निकालना तर्क संगत है कि यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण दिलाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की 'सापेक्ष' स्वतंत्रता छीन ली जाती है और ये शक्तियां भारत सरकार के बैंकिंग विभाग के सीधे नियंत्रण के अधीन किसी नियंत्रक कम्पनी को सौंप दी जाती हैं तो उससे विशेषकर विकास कार्यों के लिए अपेक्षित वित्त तथा सामान्यतः पूरी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कम्पनियों का प्रभाव और बढ़ जायेगा । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग करने से देश में एकाधिकार की अनर्थकारी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा मिलेगा और उससे संसाधनों का गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दुरूपयोग होगा ।

निष्कर्ष के रूप में यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि इस विधेयक के पीछे कोई आर्थिक या प्रशासनिक आधार तो नहीं ही है साथ ही इससे अल्पकालिक ऋण और दीर्घकालिक वित्त के बीच द्विभाजन हो जाने तथा ऋण- उपलभ्यता पर एकाधिकार वाले उद्योग समूहों का अपेक्षाकृत अधिक और सरल नियंत्रण होने की निश्चित संभावना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनर्थकारी प्रभाव भी पड़ेगा । इस असंगत और जल्दबाजी में लाये गये विधेयक से जो एक मात्र तर्कसंगत निष्कर्ष हम निकाल पाये हैं वह यह है कि वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के उच्च अधिकारी और आर्थिक शक्ति रखने वाले समूह ऋण- नीति और आयोजना तथा आर्थिक मूलाधार के स्वीकृत सिद्धान्तों की अवहेलना करके वित्तीय प्रबंध और नियंत्रण में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं ।

हम इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करते हैं और संयुक्त समिति के निष्कर्षों को अस्वीकार करते हैं । हमारी राय में यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए ।

नई दिल्ली — के. मैथ्यू कुरियन

22 जुलाई, 1975 — दीनेन भट्टाचार्य

दो

हमारी राय में इस विधेयक में जो केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रश्न तक सीमित है, मुख्य प्रश्न अर्थात् उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्रों की तुलना में लोक वित्तीय संस्थाओं की ऋण नीतियों, को अनदेखा कर दिया गया है। इस विधेयक में उद्योगों को वित्त देने, उनका संवर्धन और विकास करने के मामलों में सरकार की आधारभूत नीतियों को फिर से तैयार करने तथा नये रूप से परिभाषित करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। इस रूप में यह विधेयक बिल्कुल अपर्याप्त है और उससे ऋण के वास्तविक ढांचे पर, जो गत कई वर्षों में उभरा है, या तो बहुत कम प्रभाव पड़ा है या बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ा है।

संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से इस बात की पर्याप्त पुष्टि हुई कि ऋण देने के मामले में वित्तीय संस्थायें अब भी बड़े व्यापार समूहों को अधिक महत्व देती हैं। इस प्रकार इन पांच संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम) ने 253 प्राइवेट कम्पनियों में से प्रत्येक को एक करोड़ रूपये से अधिक का ऋण मंजूर किया है। 31 दिसम्बर, 1974 तक तक 837.42 करोड़ रूपयेका ऋण दिया जा चुका था। उक्त 253 कम्पनियों में से 80 कम्पनियों को तीन-तीन करोड़ रूपये का ऋण दिया गया। इन संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण से जिन कम्पनियों को लाभ हुआ हैउनमें से अधिकांश कम्पनियां किसी न किसी एकाधिकार समूह से संबद्ध हैं।

इसके अलावा 129 कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी की समादत्त पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक पर इन 5 वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण है और इस प्रकार 31 दिसम्बर, 1974 तक इन संस्थाओं का कुल निवेश 76.83 करोड़ रू० था। एकाधिकार क्षेत्र की 70 कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी में इन संस्थाओं के 25 लाख रूपये और उससे अधिक मूल्य के इक्विटी अंश हैं। टाटा आयरन स्टील कम्पनी जैसी बड़ी कम्पनी में भी उसके इक्विटी अंशों के 39 प्रतिशत अंशों पर इन संस्थाओं का नियंत्रण है।

लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिये जाने में एकाधिकार वाली कम्पनियों को अधिक महत्व दिये जाने की इसी प्रवृत्ति की घोषित राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के संदर्भ में, पुनरीक्षा करने तथा अपेक्षित विधान बना कर इसमें उपयुक्त सुधार करने की आवश्यकता है । हमारी राय में लोक वित्तीय संस्थायें लघु उद्योग सहकारी, कृषि, विपणन और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही हैं किन्तु इन मामलों को विधेयक के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाया गया है ।

हमने इस बात पर जोर दिया था कि पुनर्गठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों के दो निर्वाचित प्रतिनिधियों को निदेशकों के रूप में शामिल किया जाये । अंततः यह स्वीकार कर लिया गया है कि ऐसा एक प्रतिनिधि निदेशक के रूप में शामिल किया जायेगा किन्तु उसके नामनिर्देशन/ निर्वाचन की पद्धति बाद में निर्धारित की जायेगी । हम इससे संतुष्ट नहीं हैं । इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह इस बैंक में भी कर्मचारियों के चुने हुए प्रतिनिधि निदेशकों के बोर्ड में क्यों न रखे जायें, ताकि वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बेहतर कार्यचालन में अपना प्रभावी योगदान कर सकें ।

अंत में, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जब तक औद्योगिक क्षेत्र में कुछ आमूल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किये जाते तब तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में तथा वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करने वाले आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के संवर्धन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी संस्थाओं का कार्यचालन संतोषजनक नहीं हो सकता ।

नई दिल्ली
22 जुलाई, 1975

इन्द्रजीत गुप्त
भूपेश गुप्त

1973 का विधेयक सं० 108

लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

(जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है)

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खींची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं ।]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 2

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में संशोधन

बृहत् नाम का संशोधन । 2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् विकास बैंक अधिनियम कहा गया है) वृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :— 1964 का 18

"उद्योग के विकास के लिए उधार का और अन्य सुविधाओं का उपबन्ध करने तथा उससे संबद्ध बातों के लिए औद्योगिक विकास बैंक की, उद्योगों के वित्तपोषण, उन्नयन या विकास में लगी हुई संस्थाओं के कामकाज में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वय के लिए, ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता करने के लिए, मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में स्थापना करने और कुछ अधिनियमितियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम" ।

धारा 2 का संशोधन । 3. विकास बैंक अधिनियम की धारा 2 में—

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

"(ग) 'औद्योगिक समुत्थान' से ऐसा कोई समुत्थान अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित कार्यों में लगा है या लगने वाला है :—

(i) माल का विनिर्माण, परिरक्षण या प्रसंस्करण;

(ii) पोत परिवहन ;

(iii) खनन;

(iv) होटल उद्योग;

(v) यात्रियों या माल का सड़क या जलमार्ग या वायुमार्ग से परिवहन ;

(vi) विद्युत् का या ऊर्जा के किसी अन्य रूप का उत्पादन या वितरण;

(vii) किसी भी प्रकार की मशीनरी या यानों या जलयानों या मोटर नौकाओं या ट्रेलरों या ट्रैक्टरों का अनुरक्षण, मरम्मत, परख या देखभाल;

(viii) मशीनरी या ऊर्जा की सहायता से किसी वस्तु का जोड़ना, मरम्मत करना या पैकिंग करना;

(ix) भूमि के किसी संवृत्त क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास;

(x) मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के लिए समुद्री किनारे की सुविधाएं प्रदान करना;

(xi) औद्योगिक प्रगति के उन्नयन के लिए विशेष या तकनीकी ज्ञान या अन्य सेवाएं प्रदान करना;

(xii) उपर्युक्त विषयों में से किसी के सम्बन्ध में किसी प्रक्रिया या उत्पाद का अनुसन्धान और विकास;

स्पष्टीकरण—'माल के प्रसंस्करण' पद के अन्तर्गत किसी पदार्थ को शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक, वैद्युत् या किसी ऐसे ही अन्य कार्य का विषय बनाकर किसी चीज का उत्पादन करना या उसे तैयार करने या बनाने की कला या प्रक्रिया आती है ।";

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(घक) 'राष्ट्रीयकृत बैंक' से बैंककारी कम्पनी (समुत्थानों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्समान नया बैंक अभिप्रेत है ।"; 1970 का 5

(ग) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

1955 का 23 "(छक) 'स्टेट बैंक' से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है ।

1959 का 38 (छख) 'समनुषंगी बैंक' का वही अर्थ है जो इसे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में दिया गया है ।";

(घ) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

1963 का 5 "(ञ) 'यूनिट ट्रस्ट' से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है ।" ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. विकास बैंक अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना ।

5. विकास बैंक अधिनियम में धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

प्राधिकृत पूंजी ।

"4. विकास बैंक की प्राधिकृत पूंजी एक सौ करोड़ रुपए होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त पूंजी को दो सौ करोड़ रुपए तक बढ़ा सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार को पूंजी का अन्तरण ।

4क. (1) विकास बैंक की पुरोधृत पूंजी, जो लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व की तारीख पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियत दिन" कहा गया है) रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त है, ऐसे प्रारम्भ पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगी ।

(2) नियत दिन के पश्चात् विकास बैंक द्वारा किया गया पूंजी का और पुरोधरण केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया अभिदत्त किया जाएगा ।

रकम का संदाय ।

4ख. केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को विकास ऋण की पुरोधृत पूंजी की उतनी रकम जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त है, नकद में, जो उक्त अभिदत्त पूंजी के अंकित मूल्य की रकम के बराबर हो, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित किए जाने और उसमें निहित होने के लिए दी जाएगी ।" ।

धारा 5 का संशोधन ।

6. विकास बैंक अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

"(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय—

(क) यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक है या यदि वह अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक के रूप में दोनों पदों को धारण कर रहा है तो अध्यक्ष को, या

(ख) यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक नहीं है या यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक होते हुए अनुपस्थित है तो प्रबन्ध-निदेशक को,

विकास बैंक के कार्यकलाप और कारबार के साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध की शक्तियां भी प्राप्त होंगी और उन सब शक्तियों का प्रयोग, और वे सब कार्य और बातें भी कर सकेगा जिनका प्रयोग विकास बैंक द्वारा किया जा सकता है या जिन्हें विकास बैंक कर सकता है ।" ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

"(4) विकास बैंक इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में लोक मामलों में ऐसे निदेशों से जो केन्द्रीय सरकार लिखित रूप में दे, मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।"।

धारा 6 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना।

7. विकास बैंक अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्—

बोर्ड का गठन।

"6. (1) बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक :

परन्तु एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक दोनों के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ;

(ख) रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर जिसे वह बैंक नामनिर्दिष्ट करे;

(ग) बीस से अनधिक निदेशक जिन्हें केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करे, जिनमें से—

(i) दो निदेशक केन्द्रीय सरकार के पदधारी होंगे;

(ii) पांच से अनधिक निदेशक वित्तीय संस्थाओं से होंगे;

(iii) दो निदेशक विकास बैंक और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों में से होंगे और ऐसे निदेशकों में से एक अधिकारी कर्मचारियों में से और दूसरा कर्मकार कर्मचारियों में से होगा जो ऐसी रीति से चुना जाएगा जो विहित की जाए ;

(iv) छह से अनधिक निदेशक स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों से होंगे ;

(v) पांच से अन्यून निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं, विधि, औद्योगिक वित्त, विनिधान, लेखाकर्म, विपणन या किसी ऐसे अन्य विषय का, जिसका विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव केन्द्रीय सरकार की राय में विकास बैंक के लिए उपयोगी हो, विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव रखते हों।

(2) अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक पांच वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(4) नामनिर्दिष्ट निदेशक उस प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त, जिसने उसको नामनिर्दिष्ट किया है, पद धारण करेगा।

(5) बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समयों और स्थानों पर होंगे और वह अपने अधिवेशनों में कार्य करने के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(6) अध्यक्ष अथवा यदि वह किसी कारण से बोर्ड के अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ हो तो प्रबन्ध-निदेशक अथवा अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक दोनों के अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ होने की दशा में, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट कोई अन्य निदेशक और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में कोई निदेशक, जो उपस्थित निदेशकों द्वारा उनमें से निर्वाचित किया जाए, अधिवेशन का सभापतित्व करेगा।

(7) बोर्ड के किसी अधिवेशन में आने वाले सब प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के मतों की बहुसंख्या से होगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध-निदेशक को या अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति को एक द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(8) उपधारा (7) में यथाउपबन्धित के सिवाय, बोर्ड के हर निदेशक को एक मत देने का अधिकार होगा।"।

8. विकास बैंक अधिनियम में धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 6क का अन्तःस्थापन।

"6क. इस धारा में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में हर एक और कोई अन्य संस्था नहीं, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संस्था के रूप में मानी जाएगी, अर्थात्:— वित्तीय संस्थाएं।

1913 का 7 (i) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनिधान निगम लिमिटेड;

1948 का 15 (ii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;

1956 का 1 (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम;

1956 का 31 (iv) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम;

(v) यूनिट ट्रस्ट; और

(vi) ऐसी अन्य संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।"।

9. विकास बैंक अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 7 का संशोधन।

"(1) बोर्ड एक कार्यपालिका समिति गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(क) अध्यक्ष;

(ख) प्रबन्ध-निदेशक;

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों में से आठ, जिनमें से—

(i) दो ऐसे निदेशक होंगे जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट हों :

(ii) छह ऐसे निदेशक होंगे जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (V) के अधीन नामनिर्दिष्ट हों ।" ।

धारा 8 का संशोधन ।

10. विकास बैंक अधिनियम की धारा 8 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु अध्यक्ष को, यदि वह पूर्णकालिक रूप में नियुक्त किया जाता है तो या प्रबन्ध-निदेशक या किसी अन्य निदेशक या सदस्य को जो सरकारी पदधारी है, या रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को या विकास बैंक के किसी पदधारी को कोई फीस देय न होगी ।" ।

धारा 9 का संशोधन ।

11. विकास बैंक अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,—

(क) "विकास बैंक निम्नलिखित में से किसी भांति का कारबार चला सकेगा और कर सकेगा," शब्दों के स्थान पर, "विकास बैंक उद्योग के वित्तपोषण, उन्नयन या विकास में लगी संस्थाओं के कामकाज में समन्वय करना और ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, कृत्य करेगा और निम्नलिखित में से किसी भांति का कारबार चला सकेगा और कर सकेगा," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (क) में कोष्ठक और शब्द "(जिनके अन्तर्गत ऐसे समुत्थान हैं जो भूमि के किसी समवर्ती क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास करने में लगे हैं या लगने वाले हैं)" जहां कहीं भी आते हैं, उनका लोप किया जाएगा;

(ग) खण्ड (ट क) के उपखण्ड (ii) में "की सिफारिश पर" शब्दों के स्थान पर "के परामर्श से" शब्द रखे जाएंगे

(घ) खण्ड (ड) में "रिजर्व बैंक की सिफारिश पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

12. विकास बैंक अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(1क) जहां विकास बैंक ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे, वहां वह उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विकास सहायता निधि में ऐसी रकम धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) या खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए कोई रकम संवितरित या व्यय कर सकेगी ।"।

धारा 18 का संशोधन ।

13. विकास बैंक अधिनियम की धारा 18 में—

(क) उपधारा (3) में "रिज़र्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे :

(ख) उपधारा (5) में—

(i) "और रिज़र्व बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "विकास बैंक उक्त तुलनपत्र, लेखाओं और रिपोर्टों की प्रतिलिपियां शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र इन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी", शब्द रखे जाएंगे ।

14. विकास बैंक अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे। धारा 22 का संशोधन।

15. विकास बैंक अधिनियम की धारा 23 में-- धारा 23 का संशोधन।

(क) जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं उनके स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में "विकास बैंक उक्त तुलनपत्र लेखाओं और रिपोर्टों की प्रतिलिपियां शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा इनके प्राप्त किए जाने के पश्चात् इन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी" शब्द रखे जाएंगे।

16. विकास बैंक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 26 का संशोधन।

"(3) कर्मचारिवृन्द का प्रत्येक सदस्य---

(क) जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन नियत दिन के ठीक पूर्व विकास बैंक द्वारा किया जाता है, या

(ख) जिसकी सेवाएं विकास बैंक को उपलब्ध किए जाने पर नियत दिन के ठीक पूर्व उस बैंक द्वारा किसी अन्य संगठन को प्रतिनियुक्त की जाती हैं,

नियत दिन को और विकास बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसी वेतन उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों पर नियुक्त समझा जाएगा जिनके लिए वह नियत दिन के ठीक पूर्व हकदार था :

परन्तु उक्त कर्मचारिवृन्द का प्रत्येक सदस्य, जो विकास बैंक के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों से भिन्न हो नियत दिन से अठारह मास की कालावधि के अवसान के पूर्व रिजर्व बैंक में वापस जाने का निश्चय लिखित रूप में इस आशय के विकल्प का प्रयोग करके कर सकेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने पर रिजर्व बैंक नियत दिन से तीस मास की कालावधि के अवसान के पूर्व कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य को वापस लेगा और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सदस्य को वापस लिए जाने पर वह रिजर्व बैंक के कर्मचारिवृन्द का सदस्य हो जाएगा और विकास बैंक के कर्मचारिवृन्द का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) यदि नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय रिजर्व बैंक के कृत्यों में से कोई कृत्य विकास बैंक को अन्तरित किया जाता है, तो विकास बैंक के लिए रिजर्व बैंक को पूर्वानुमोदन से रिजर्व बैंक के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों में से ऐसों को जिनकी सेवाओं का उपयोग उपर्युक्त अन्तरण से पूर्व कृत्यों में से किसी से सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाता था, नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारिवृन्द का हर एक सदस्य रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उपधारा (1) के अधीन विकास बैंक द्वारा उसी वेतन उपलब्धियों और सेवा के अन्य निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त समझा जाएगा जिनके लिए वह अपनी नियुक्ति की तारीख के ठीक पूर्व हकदार था :

परन्तु उपर्युक्त कर्मचारिवृन्द का हर एक सदस्य नियत दिन से अठारह मास की कालावधि के अवसान के पूर्व रिजर्व बैंक में वापस आने का निश्चय इस आशय

का लिखित रूप में विकल्प का प्रयोग करके कर सकेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने पर रिजर्व बैंक नियत दिन से तीस मास की कालावधि के अवसान के पूर्व कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य को वापस लेगा और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सदस्य को वापस लिए जाने पर वह रिजर्व बैंक के कर्मचारिवृन्द का सदस्य हो जाएगा और विकास बैंक के कर्मचारिवृन्द का सदस्य नहीं रहेगा।

(5) इस अधिनियम में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या संविदा में किसी बात के होते हुए भी यदि रिजर्व बैंक, विकास बैंक या यूनिट ट्रस्ट के परामर्श से उक्त संस्थाओं के किसी भी कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को इन दोनों संस्थाओं में से किसी न किसी पद पर प्रोन्नत करना उक्त संस्थाओं में से किसी के हित में आवश्यक समझे तो रिजर्व बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी अस्थायी कालावधि के लिए, जो नियत दिन से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 4क के अधीन अधिसूचित तारीख से, इनमें से जो 1963 का 52
भी पूर्वतर हो, अठारह मास से अनधिक कालावधि हो, कर्मचारिवृन्द के ऐसे किसी सदस्य को उस अन्य संस्था में प्रोन्नति पर अन्तरित करेगी और ऐसे अन्तरण पर कर्मचारिवृन्द का ऐसा हर एक सदस्य उस अन्य संस्था के, जिसमें वह इस प्रकार अन्तरित किया जाता है, कर्मचारिवृन्द का सदस्य समझा जाएगा और वह उसी वेतन, उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों का हकदार होगा जिनके लिए वह ऐसे अन्तरण की तारीख के पूर्व हकदार था, इसमें ऐसे फायदे भी, यदि कोई हों, शामिल हैं जो ऐसी प्रोन्नति से प्रत्यक्षतः उद्भूत होते हैं :

परन्तु उपर्युक्त कर्मचारिवृन्द का हर सदस्य नियत दिन से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 4क के अधीन अधिसूचित तारीख से, 1963 का 52
इनमें जो भी पूर्वतर हो, 18 मार्च की कालावधि के अवसान के पूर्व ऐसी संस्था को, जिससे वह अन्तरित किया गया था, वापस जाने का निश्चय इस आशय का लिखित रूप में विकल्प का प्रयोग करके कर सकेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने पर वह संस्था नियत दिन से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 4क के अधीन अधिसूचित तारीख से इनमें जो भी पूर्वतर हो, तीस मास की कालावधि के अवसान के पूर्व कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य को वापस लेगी और उस संस्था द्वारा ऐसे सदस्य के वापस लिए जाने पर वह उसके कर्मचारिवृन्द का सदस्य हो जाएगा और उस संस्था के, जिसमें वह पहले अन्तरित किया गया था, कर्मचारिवृन्द का सदस्य नहीं रहेगा।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारिवृन्द का कोई भी सदस्य उपधारा (3) से (5) तक के अधीन, यथास्थिति, अपने अन्तरण, नियुक्ति या वापसी के लिए या के संबंध में किसी बात के बारे में किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा और इनके संबंध में कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्राह्य नहीं होगा।"।

धारा 29 का संशोधन। 17. विकास बैंक अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) विकास बैंक इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक, किसी समनुषंगी बैंक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य वित्तीय निगम या ऐसी अन्य वित्तीय संस्था से या को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, उधार विषयक जानकारी या ऐसी अन्य जानकारी, जिसे

वह इस प्रयोजन के लिए उपयोगी समझे, ऐसी रीति में और ऐसे समय पर, जो वह ठीक समझे, संगृहीत कर सकेगा या दे सकेगा।

1934 का 2 **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "जमाखाते की जानकारी" पदावलि का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के उपखण्ड (ग) में ऐसे दिया गया है, किन्तु यह इस उपान्तर के अधीन रहते हुए कि उसमें निर्दिष्ट "बैंककारी कम्पनी" से उपर्युक्त स्टेट बैंक, कोई समनुषंगी बैंक, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य वित्तीय निगम या अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।"।

18. विकास बैंक अधिनियम की धारा 37 में— धारा 37 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे और "सकेगा" शब्द के स्थान पर "सकेगी" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में "का गठन और उसके" शब्दों के स्थान पर "के" शब्द रखा जाएगा।

19. विकास बैंक अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्— नई धारा 39 का अन्तःस्थापन।

"39. लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो केन्द्रीय सरकार कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी, जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो: कठिनाई दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई आदेश उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"।

अध्याय 3

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

1934 का 2 20. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54कक की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्— धारा 54कक का संशोधन।

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी बैंक अपने कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को ऐसी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निम्नलिखित में प्रत्यायोजित कर सकेगा—

(क) किसी ऐसी संस्था में जो बैंक के स्वामित्व में पूर्णतः या सारतः हो;

(ख) विकास बैंक में किन्तु इस प्रकार से कि ऐसा कोई प्रत्यायोजन लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 के प्रारम्भ से 30 मास के अवसान के पश्चात् जारी नहीं रहेगा;

(ग) यूनिट ट्रस्ट में किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई प्रत्यायोजन भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से 30 मास के अवसान के पश्चात् जारी नहीं रहेगा; 1963 का 52

और तदुपरान्त इस प्रकार प्रत्यायोजित व्यक्ति अपने प्रत्यायोजन की कालावधि के दौरान उस संस्था की, जिसमें वह इस प्रकार प्रत्यायोजित किया गया है, ऐसी सेवा करेगा जैसी कि वह संस्था अपेक्षा करे।"।

अध्याय 4

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तार

1948 के अधिनियम 15 का नागालैण्ड में कोहिमा और मोकोकचुंग ज़िलों पर विस्तार।

21. लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ से ही औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का विस्तार नागालैण्ड राज्य में कोहिमा और मोकोकचुंग ज़िलों पर होगा और वहां उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 5

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का संशोधन

धारा 10क का संशोधन।

22. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम कहा गया है) धारा 10क की उपधारा (2) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। 1948 का 15

धारा 42 का संशोधन।

23. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 42 में—

(i) उपधारा (1) में विकास बैंक के परामर्श से "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक के परामर्श से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी :—

"(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

अध्याय 6

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 का संशोधन

धारा 3क का संशोधन।

24. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् राज्य वित्तीय निगम अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे। 1951 का 63

धारा 4 का संशोधन।

25. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में "पांच करोड़" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4क का संशोधन।

26. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 4क में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

"राज्य सरकार विकास बैंक के परामर्श से वित्तीय निगम की अप्रोद्‌वृत पूंजी के ऐसे भाग को, जिसे विशेष वर्ग के शेयरों को पुरोधृत करने के लिए आवंटित किया जाएगा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगी;" ;

(ख) उपधारा (2) और (3) में जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं उनके स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

27. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 4क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्— नई धाराओं 4ख और 4ग का अन्तःस्थापन।

"4ख. ऐसी तारीख जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट तारीख कहा गया है), प्रत्येक वित्तीय निगम के ऐसे सभी शेयर जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व की तारीख को अभिदत्त हैं, विकास बैंक को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित होंगे। शेयर पूंजी का विकास बैंक को अन्तरण।

4ग. विकास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को प्रत्येक वित्तीय निगम के रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त शेयरों के विकास बैंक को अन्तरित किए जाने और उसमें निहित होने के लिए नकद में उतनी रकम दी जाएगी जो इस प्रकार अभिदत्त वित्तीय निगम के शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर हो।"। रकम का संदाय।

28. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 5 में "रिजर्व बैंक" शब्दों के पश्चात्, "विकास बैंक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 5 का संशोधन।

29. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 7 में— धारा 7 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में "रिजर्व बैंक के परामर्श से" शब्दों के पूर्व 'विकास बैंक और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2क) विकास बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना कोई धन उपधारा (2) के अधीन वित्तीय निगम द्वारा रिजर्व बैंक से उधार नहीं लिया जाएगा।";

(ग) उपधारा (3) में 'रिजर्व बैंक के परामर्श से" शब्दों के पूर्व "विकास बैंक और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

30. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में 'राज्य सरकार और रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार, विकास बैंक और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे। धारा 8 का संशोधन।

31. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 10 में— धारा 10 का संशोधन।

(क) खण्ड (क) में—

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "किए जाएंगे" शब्दों के पश्चात् "जिनमें से एक निदेशक ऐसा व्यक्ति होगा जो लघु उद्योगों का विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित एक और परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि संयुक्त वित्तीय निगम की दशा में ऐसा निदेशक, जो लघु उद्योगों का विशेष ज्ञान या अनुभव रखता होगा,

भाग लेने वाले उस राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो भाग लेने वाले राज्यों के बीच करार के निबंधनों के अनुसार ऐसा नाम- निर्देशन करने का हकदार है;";

(ख) खण्ड (ग) में 'एक निदेशक" और "किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दो निदेशक" और "किए जाएंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (च) में 'रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

32. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के परन्तुक में "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् या "विकास बैंक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

33. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में——

(क) "दो निदेशक जो नामनिर्देशित निदेशकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों में से होगा और एक" शब्दों के स्थान पर "चार निदेशक जो नामनिर्देशित निदेशकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से दो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों में से होंगे और दो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परन्तुक में "एक निदेशक" शब्दों के स्थान पर "दो निदेशक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

34. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक में "रिज़र्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

35. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में और उपधारा (3) में जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं उनके स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35क का संशोधन ।

36. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 35क की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित और परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्——

'परन्तु यह और कि विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानों "राज्य सरकार, रिजर्व बैंक और विकास बैंक" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार और विकास बैंक" शब्द रखे गए हैं, सिवाय ऐसे सभी लाभांशों के बारे में जो विनिर्दिष्ट तारीख की पूर्व की कालावधि की पूरी कराई गई लेखा संपरीक्षा के बारे में अर्जित हुए हों ।' ।

धाराओं 37क, 39, 46ग और 48 का संशोधन ।

37. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 37क, 39, 46क और 48 में जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हों उनके स्थान पर 'विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38 का संशोधन ।

38. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 38 में——

(क) जहां कहीं भी "राज्य सरकार को और रिजर्व बैंक को" 'शब्द आते हैं उनके स्थान पर "राज्य सरकार, विकास बैंक और रिजर्व बैंक को" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार यथासंशोधित उपधारा (2) में "राज्य सरकार या रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर 'राज्य सरकार या विकास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

39. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्— नई धारा 49 का अन्तःस्थापन।

"49. लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो केन्द्रीय सरकार कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हों : कठिनाई दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई आदेश उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"।

अध्याय 7

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन

1956 का 31 40. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् जीवन बीमा अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में "पन्द्रह" शब्द के स्थान पर "सोलह" शब्द रखा जाएगा। धारा 4 का संशोधन।

41. जीवन बीमा अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 6क का अन्तःस्थापन।

"6क. (1) किसी समुत्थान से धारा 6 के अधीन ठहराव करने में निगम ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जिन्हें वह निगम के हितों के संरक्षण के लिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा प्रदत्त आवास का समुत्थान सर्वोत्तम रूप से प्रयोग कर रहा है, आवश्यक या समीचीन समझे। शर्तें आदि अधिरोपित करने की शक्ति।

(2) जहां निगम द्वारा किसी समुत्थान के साथ धारा 6 के अधीन कोई ठहराव किया गया है जिसमें ऐसे समुत्थान के एक या अधिक निदेशकों की निगम द्वारा नियुक्ति के लिए उपबन्ध है, वहां ऐसा उपबन्ध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की कोई नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ज्ञापन-पत्र या संगम-अनुच्छेद या समुत्थान से संबंधित किसी अन्य लिखत में प्रतिकूल बात के होते हुए भी विधिमान्य और प्रभावी होगी और निदेशकों को शेयर अर्हता, आयु-सीमा, निदेशक पद की संख्या, पद से हटाए जाने से सम्बन्धित कोई उपबन्ध और इसी तरह की शर्तें जो पूर्वोक्त रूप की किसी विधि या लिखत में हों, यथाउपर्युक्त ठहराव के अनुसरण में निगम द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा। 1956 का 1

(3) यथापूर्वोक्त रूप में नियुक्त कोई निदेशक—

(क) निगम के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा और निगम द्वारा लिखित आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा या उसके स्थान पर कोई व्यक्ति रखा जा सकेगा;

(ख) केवल निदेशक होने के कारण या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के करने या किसी बात के करने में लोप किए जाने या उससे संबंधित किसी बात के लिए कोई बाध्यता या दायित्व के अधीन नहीं होगा;

(ग) चक्रानुक्रम से निवृत्त नहीं किया जा सकेगा और उसे ऐसे निवृत्त किए जा सकने वाले निदेशकों की संख्या की संगणना करने में नहीं गिना जाएगा।"।

धारा 19 का संशोधन ।

42. जीवन बीमा अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में "सात सदस्यों से मिलकर गठित होगी जिसमें से अन्यून तीन" शब्दों के स्थान पर "आठ सदस्यों से मिलकर गठित होगी जिनमें से अन्यून चार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 48 का संशोधन ।

43. जीवन बीमा अधिनियम की धारा 48 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।" ।

अध्याय 8

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

44. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूनिट ट्रस्ट अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (गग) को खण्ड (गख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खण्ड (गख) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1963 का 52

"(गक) "विकास बैंक" से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय विकास बैंक अभिप्रेत है ;" । 1964 का 18

धारा 3 का संशोधन ।

45. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर 'विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धाराओं 4क और 4ख का अन्तःस्थापन ।

46. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

विकास बैंक को आरम्भिक पूंजी का अन्तरण ।

"4क. उस तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचित तारीख कहा गया है) रिजर्व बैंक द्वारा ट्रस्ट की आरम्भिक पूंजी में दिए गए सभी अंशदान, जो अधिसूचित तारीख के ठीक पूर्व की तारीख तक दिए गए हों, विकास बैंक को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित होंगे ।

रकम का संदाय ।

4ख. रिजर्व बैंक द्वारा ट्रस्ट की आरम्भिक पूंजी में जो अंशदान दिया गया है उसके लिए विकास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को अन्तरण के लिए और उसमें निहित होने के लिए नकद में इतनी रकम दी जाएगी जो इस प्रकार अन्तरित आरम्भिक पूंजी में अंशदान के बराबर हो ।" ।

धारा 10 का संशोधन ।

47. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 10 में—

(क) खण्ड (क) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार विकास बैंक के परामर्श से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(कक) न्यासी जो रिजर्व बैंक द्वारा नामनिदशित कि याजाएगा ;" ;

(ग) खण्ड (ख) और (च) में जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं उनके स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे

48. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–– नई धारा 10क का अन्तःस्थापन।

"10क. अधिसूचित तारीख के ठीक पूर्व हर व्यक्ति, जो धारा 10 के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में या ऐसे ट्रस्टी के रूप में पद धारण करता रहा हो, जो उस धारा के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दशित रिजर्व बैंक का अधिकारी न हो या उसके खण्ड (च) के अधीन नियुक्त कार्य-पालक ट्रस्टी के रूप में पद धारण कर रहा हो, लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा इस अधिनियम के संशोधन के किए जाने के होते हुए भी उन्हीं शर्तों पर उस पद को अपनी पदावधि के अनवसित भाग के लिए धारण करता रहेगा।"। बोर्ड के अध्यक्ष और कतिपय ट्रस्टियों के बने रहने के लिए संक्रमण-कालीन उपबन्ध।

49. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) और (2) में जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं, उनके पश्चात् "या विकास बैंक" शब्द अन्तः-स्थापित किए जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) में "खंड (ख) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के पूर्व "खण्ड (कक) के अधीन या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 11 का संशोधन।

50. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (घ) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे। धारा 12 का संशोधन।

51. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 13 में जहां दो बार "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं, उनके पश्चात् "या विकास बैंक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 13 का संशोधन।

52. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धाराओं 14, 15, 18, 25, 27, 30, 41 में और धारा 43 की उपधारा (1) में जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" शब्द आते हैं उनके स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे। धाराओं 14, 15, 18, 25, 27, 30 41 और 43 का संशोधन।

53. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–– नई धारा 19क का अन्तःस्थापन।

"19क. (1) किसी समुत्थान से धारा 19 के अधीन ठहराव करने में ट्रस्ट ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें वह ट्रस्ट के हितों के संरक्षण के लिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा प्रदत्त आवास का समुत्थान सर्वोत्तम रूप से प्रयोग कर रहा है, आवश्यक या समीचीन समझे। शर्तें आदि अधि-रोपित करने की शक्ति।

(2) जहां ट्रस्ट द्वारा किसी समुत्थान के साथ धारा 19 के अधीन कोई ठहराव किया गया है जिसमें ऐसे समुत्थान के एक या अधिक निदेशकों की ट्रस्ट द्वारा नियुक्ति के लिए उपबन्ध है, वहां ऐसा उपबन्ध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की कोई नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ज्ञापन-पत्र या संगम-अनुच्छेद या समुत्थान से सम्बन्धित किसी अन्य लिखत में प्रतिकूल बात के होते हुए भी विधिमान्य और प्रभावी होगी और निदेशकों की शेयर-अर्हता, आयु-सीमा, निदेशक पद की संख्या, पद से हटाए जाने से सम्बन्धित कोई उपबन्ध और इसी तरह की शर्तें जो पूर्वोक्त रूप की किसी विधि या लिखत में हों, यथा उपर्युक्त ठहराव के अनुसरण में ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा। 1956 का 1

(3) यथापूर्वोक्त रूप में नियुक्त कोई निदेशक––

(क) ट्रस्ट के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और ट्रस्ट द्वारा लिखित

आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा या उसके स्थान पर कोई व्यक्ति रखा जा सकेगा;

(ख) केवल निदेशक होने के कारण ही या निदेशक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के कारण या किसी बात के किए जाने में लोप करने या उससे सम्बन्धित किसी बात के कारण वह किसी बाध्यता या दायित्व के अधीन नहीं होगा;

(ग) चक्रानुक्रम से निवृत्त नहीं किया जा सकेगा और उसे ऐसे निवृत्त किए जा सकने वाले निदेशकों की संख्या की संगणना में नहीं गिना जाएगा।"।

धारा 20क का संशोधन।

54. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 20क में––

(क) "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक या विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "रिजर्व बैंक को संदेय" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति रिजर्व बैंक या विकास बैंक को संदेय" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 29 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

55. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम में धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

जानकारी का दिया जाना।

"29. रिजर्व बैंक या विकास बैंक समय-समय पर ट्रस्ट से ऐसी जानकारी की मांग कर सकेगा जो उक्त बैंकों में से कोई बैंक अपेक्षा करे और ट्रस्ट उसे देने के लिए बाध्य होगा।"।

धारा 31 का संशोधन।

56. यूनिट ट्रस्ट अधियिम की धारा 31 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:––

"(3) रिजर्व बैंक के कर्मचारिवृन्द का हर सदस्य,––

(क) जिसकी सेवाओं का उपयोग अधिसूचित तारीख के ठीक पूर्व ट्रस्ट द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया जा रहा है, या

(ख) जिनकी सेवाएं ट्रस्ट को उपलब्ध किए जाने पर अधिसूचित तारीख के ठीक पूर्व ट्रस्ट द्वारा किसी अन्य संगठन को प्रतिनियोजित की गई है, अधिसूचित तारीख की ओर से उपधारा (1) के अधीन ट्रस्ट द्वारा उन्हीं वेतन, उपलब्धियों और अन्य निबंधनों तथा सेवा की शर्तों पर नियुक्त समझा जाएगा जिनके लिए वह अधिसूचित तारीख के ठीक पूर्व हकदार था:

परन्तु उक्त कर्मचारिवृन्द का हर एक सदस्य, अधिसूचित तारीख से अठारह मास की कालावधि के अवसान के पूर्व रिजर्व बैंक में वापस जाने का निश्चय लिखित रूप में इस आशय के विकल्प का प्रयोग करके कर सकेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने पर रिजर्व बैंक अधिसूचित तारीख से तीस मास की कालावधि के अवसान के पूर्व कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य को वापस लेगा और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सदस्य को वापस लिए जाने पर वह रिजर्व बैंक के कर्मचारिवृन्द का सदस्य हो जाएगा और ट्रस्ट के कर्मचारिवृन्द का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) इस अधिनियम में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी यदि रिजर्व बैंक ट्रस्ट

था विकास बैंक के परामर्श से उक्त संस्थाओं में से किसी के कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को ऐसी अस्थायी कालावधि के लिए, जो अधिसूचित तारीख से या लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 के प्रारम्भ की तारीख से, इन में जो भी पूर्वतर हो, अठारह मास से अधिक की कालावधि न हो, उक्त अन्य दो संस्थाओं में से किसी में किसी पद पर प्रोन्नत करना उक्त संस्थाओं के हित में आवश्यक समझे तो रिजर्व बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कर्मचारिवृन्द के ऐसे किसी सदस्य को प्रोन्नति पर ऐसी अन्य संस्था में अन्तरित करे और कर्मचारिवृन्द का ऐसा हर सदस्य ऐसे अन्तरण पर उस संस्था के कर्मचारिवृन्द का सदस्य समझा जाएगा जिसमें वह इस प्रकार से अन्तरित किया जाता है और वह उसी वेतन, उपलब्धियों और सेवा के अन्य निबन्धनों तथा शर्तों का हकदार होगा जिनके लिए वह ऐसे अन्तरण की तारीख के ठीक पूर्व हकदार था और यदि ऐसी प्रोन्नति से प्रत्यक्षतः कोई फायदे उद्भूत होते हों तो वे भी इसमें सम्मिलित हैं :

परन्तु उपर्युक्त कर्मचारिवृन्द का हर एक सदस्य अधिसूचित तारीख से या लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 के प्रारम्भ की तारीख से, इनमें जो भी पूर्वतर हो, अठारह मास की कालावधि के अवसान के पूर्व उस संस्था में वापस जाने का, जिससे वह इस प्रकार अन्तरित किया गया था, निश्चय लिखित रूप में इस आशय के विकल्प का प्रयोग करके कर सकेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने पर वह संस्था अधिसूचित तारीख से या लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 के प्रारम्भ की तारीख से, इनमें जो भी पूर्वतर हो, तीस मास की कालावधि के अवसान के पूर्व कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य को वापस लेगी, और उस संस्था द्वारा ऐसे सदस्य के वापस ले लिए जाने पर वह उसके कर्मचारिवृन्द का सदस्य हो जाएगा और उस संस्था का सदस्य नहीं रह जाएगा जिसमें वह पहले अन्तरित किया गया था ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी कर्मचारिवृन्द का कोई भी सदस्य उपधारा (3) और (4) के अधीन यथास्थिति अपने अन्तरण, नियुक्ति या वापसी के लिए या के संबंध में किसी बात के बारे में किसी प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा और इनके संबंध में कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्राह्य नहीं होगा।" ।

धारा 37 का संशोधन।

57. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 37 में "रिजर्व बैंक" शब्द जहां दो स्थानों पर आते हैं उनके स्थान पर "रिजर्व बैंक या विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 45 का अन्तःस्थापन।

58. यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 44 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

"45. लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो केन्द्रीय सरकार कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।" ।